HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17173/2026
CNR: RJHC021045052026 | URN: CRLMB / 31654U / 2026

1. Shadab Ali S/o Late Islamuddin, Aged About 22 Years, R/o Bhopal Nagar, Adarsh Nagar-B Police Station Mantown District Sawai Madhopur (Raj.). (Accused Petitioner At Present Confined In Jail Sawai Madhopur)
2. Almas S/o Late Islamuddin, Aged About 21 Years, R/o Bhopal Nagar, Adarsh Nagar-B Police Station Mantown District Sawai Madhopur (Raj.). (Accused Petitioner At Present Confined In Jail Sawai Madhopur)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dushyant Singh Naruka
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **मानटाउन जिला सवाई माधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **285/2026** अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2)(ए), 112(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2026 कार्यालय द्वारा इंगित आपत्ति दूर करते हुए आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिए जाने का निवेदन करते हुए प्रस्तुत किया है।

सुना गया। प्रकरण के इस प्रक्रम पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार करके आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त **शादाब** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.10.2026 को निरस्त किया गया था तब प्रकरण में अनुसंधान पूरा नहीं हुआ था लेकिन अब अनुसंधान पूरा होकर आरोप–पत्र पेश हो चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरूद्ध यह आक्षेप है कि उसने अपना खाता साइबर ठगी के लिए सहअभियुक्त अलमास को दिया एवं अलमास ने साइबर ठगी करके इस खाते में साइबर ठगी की राशि प्राप्त की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में साइबर ठगी की कुल राशि लगभग 30000/–रूपये होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। वह दिनांक 24.08.2026 से अभिरक्षा में है। अन्वेषण पूर्ण होकर आरोप–पत्र पेश हो चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त **अलमास** की ओर से उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने सहअभियुक्त शादाब का खाता उपयोग करके साइबर ठगी की राशि प्राप्त की है। उसके विरूद्ध दो शिकायतें हैं। अनुसंधान पूरा होकर आरोप–पत्र पेश हो चुका है। वह दिनांक 24.08.2026 से अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण ने संगठित रूप से साइबर ठगी का अपराध कारित किया है। उनके विरूद्ध गम्भीर अपराध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2), 61(2)(ए), 112(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का आरोप है। इस मामले में लगभग 30000/–रूपये की साइबर ठगी होना बताया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक

24.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रा. र्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे,** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में एकान्तर माह (Alternative month) की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उनकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक दो माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्तगण के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/43/AJAY KUMAR SINGHAL